पत्र संख्या-वि0(27)पे0को0-58/2024- /वि0,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव(संसाधन) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी
सभी पेंशन प्रदायी बैंक, बिहार ।

पटना, दिनांक-

विषयः- सेवानिवृति के पश्चात विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री अथवा दिव्यांग आश्रित संतान के नाम को पी0पी0ओ0 में जोड़ने की प्रक्रिया के संबंध में ।

प्रसंगः- उप महालेखाकार(पेंशन), बिहार, पटना का पत्रांक-पेन-01/(15) 24-25/132 दिनांक-25.09.2024 एवं पत्रांक-1315 दिनांक-29.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प सं0-918 दिनांक-25.10.2018 तथा वित्त विभागीय पत्रांक-1281 दिनांक-19.12.2023 के द्वारा केन्द्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गयी है । इसी प्रकार जीविकोपार्जन में असमर्थ दिव्यांग संतान को आजीवन पारिवारिक पेंशन की सुविधा पूर्व से ही लागू है । ऐसे मामलों में यह आवश्यक है कि पात्र संतान संबंधित पेंशनर अथवा उसके जीवन साथी के जीवन काल में उनपर आश्रित रहे हों ।

2. ऐसा देखा गया है कि पी0पी0ओ0 निर्गत होने के पश्चात संबंधित पेंशनर अथवा उनके जीवन साथी द्वारा अपने पात्र संतान का नाम पी0पी0ओ0 में जोड़ने का अनुरोध अपने पेंशन स्वीकृति प्राधिकार से किया जाता है । उक्त संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान के अभाव में संबंधित कार्यालय के स्तर पर इसमें प्रक्रियात्मक विलंब होता है तथा संबंधित पेंशनर को भी परेशानी होती है । ऐसे अनेक मामलों में वित्त विभागीय परामर्श की अपेक्षा की जाती है । पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक-22.06.2010 द्वारा भी इस संदर्भ में स्पष्ट निदेश निर्गत है । इसी परिपेक्ष्य में महालेखाकार कार्यालय द्वारा भी प्रसंगाधीन पत्र द्वारा इस बिन्दु पर एक स्पष्ट दिशानिर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है ।

.....2

3. उपर्युक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि सेवानिवृति के समय सभी कर्मी/पदाधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्र भरा जाता है एवं उसमें परिवार के सदस्यों का विवरण होता है । महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत पी0पी0ओ0 में उन्हीं सदस्यों का विवरण अंकित होता है जो पारिवारिक पेंशन हेतु पात्र होते हैं । पारिवारिक पेंशन हेतु अर्हकता एक परिवर्तनशील तथ्य है, जिसका अंतिम निर्धारण भुगतान आरंभ होने के समय ही किया जा सकता है । ऐसा संभव है कि पी0पी0ओ0 में नाम अंकित होने के बावजूद कोई संतान भुगतान आरंभ होने के समय अर्हकता खो दे अथवा इसके विपरीत कोई संतान पी0पी0ओ0 में नाम न होने के बावजूद अर्हक हो जाए । ऐसे में पी0पी0ओ0 में नाम अंकित होने का पेंशन भुगतान के दावे से सीधा संबंध नहीं है । भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक-22.06.2010 में भी पेंशनर/उनके जीवन साथी द्वारा अपने जीवनकाल में पी0पी0ओ0 में किसी संतान का नाम जोड़ने संबंधी प्राप्त आवेदन के आलोक में पी0पी0ओ0 संशोधित करने के बजाय मात्र एक पावती निर्गत करने का निदेश है । हालाँकि पात्र संतान को पेंशन स्वीकृति हेतु उक्त पावती अनिवार्य नहीं है ।

4. अतः स्पष्ट किया जाता है कि पी0पी0ओ0 निर्गत होने के बाद पेंशनर/उनके जीवन साथी से पी0पी0ओ0 में किसी आश्रित संतान का नाम जोड़ने संबंधी प्राप्त आवेदन के आलोक में किसी विशेष कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । संबंधित पेंशनर/उनके जीवन साथी के मृत्यु के पश्चात अगर किसी संतान द्वारा पेंशन भुगतान संबंधी दावा प्रस्तुत किया जाता है तो वैसी स्थिति में पेंशन स्वीकृति प्राधिकार मामले की विधि संगत समीक्षा करेंगे तथा दावा प्रासंगिक प्रावधानों/अभिलेखों से समर्थित होने की स्थिति में महालेखाकार, बिहार को अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित करेंगे ।

5. महालेखाकार कार्यालय द्वारा इस बिन्दु को भी उठाया गया है कि पेंशन स्वीकृति प्राधिकार द्वारा आय संबंधी शर्त तथा पेंशनर या उनके जीवनसाथी के जीवन काल में आश्रितता संबंधी शर्त पूरा न होने की स्थिति में भी पारिवारिक पेंशन का स्वीकृत्यादेश महालेखाकार कार्यालय को भेजा जा रहा है, जो आपत्तिजनक है । अतः सभी पेंशन स्वीकृति प्राधिकार स्वीकृत्यादेश निर्गत करते समय अर्हकता संबंधी वित्त विभागीय प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।

6. अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुपालन हेतु सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निदेशित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(जय सिंह)

सचिव(संसाधन

.....3

ज्ञापांक- वि0(27)पे0को0-58/2024 - 416 (पें) पटना, दिनांक- 06-6-2025

प्रतिलिपिः-महालेखाकार, बिहार, पटना/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय /सचिव, बिहार विधान सभा/ परिषद्/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/25

सचिव(संसाधन) ।

05.6.25